



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

पत्रावली संख्या:F-21582

दिनांक:2006-2007

संख्या:R/SUL/01189/2021-2022

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किन्ना देवी एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम बेहराभारी अखंडनगर बाजार तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर 228171 उत्तर प्रदेश, सुलतानपुर, 228171 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-79/2006-07 दिनांक-24/04/2006 को दिनांक-24/04/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)

95F5ADA0C02DA7968DA3B3F3097EFC08B15C904C

Date: 02/06/2021 11:51:55 AM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-02/06/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



भारतीय गैर न्यायिक



दस
रुपये

रु. 10

TEN
RUPEES


Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AC 308873



सत्य प्रतिलिपि

[Handwritten signature]

उप निबंधक
फर्म समितियां तथा बिट्स
कंजाबाद

10/03/14

किराना देवी एज्युकेशनल

प्लोरनर्सरी

सुलतानपुर

रु 21582

- रजिस्ट्रार - पत्र -

भारतीय गैर न्यायिक



दस
रुपये

रु.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AC 308874



सत्य प्रतिलिपि

[Handwritten signature]

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा जिल्स
फैजाबाद

10/03/14

किष्ना देवी एज्जिमानल
सुलतानपुर
हफ् 21582

स्मृति- पत्र

1. संस्थो का नाम : किन्ना देवी एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता : ग्रा0- बेहराभारी (अखण्डनगर बाजार)
पो0/वि0क्ष0- अखण्डनगर, तह0- कादीपुर,
जन0- सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : 1 बालक/बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म सवितायां तथा विद्वस
केजाव

10/03/10



किन्नादेवी

- 2 बालक/बालिकाओं में वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
- 3 बालक/बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना एवं उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ने हेतु उत्साहित व प्रेरित करना।
- 4 बालक/बालिकाओं के ज्ञानार्जन हेतु संस्था में पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करके उसका संचालन करना।
- 5 बालक/बालिकाओं में सच्चरित्रता, एवं अनुशासन के साथ-साथ सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय विचारों की श्रद्धा उत्पन्न करते हुये समता हेतु प्रयास करना।
- 6 संस्था कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था उपसमिति बनाकर करेगी। इस उपसमिति द्वारा बालक/बालिकाओं को सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक रूप से कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस उपसमिति द्वारा एकवर्षीय/द्विवर्षीय कम्प्यूटर साफ्टवेयर कोर्स संचालित किया जायेगा।

स्वल्पनारायण विश्वकर्मा
रामनारायण विश्वकर्मा
ओमप्रकाश विश्वकर्मा
कमलकला विश्वकर्मा
श्रीवप्रसाद शर्मा
रामप्रसाद शर्मा

R.N.Vishwakarma,
रेखा
रेखा

शुभतेज

किन्ना देवी एजुकेशनल सोसाइटी

ग्रा0-बेहराभारी (अखण्ड नगर बाजार), पो0/वि0क्षे0-अखण्ड नगर, तह0 कादीपुर,
जिला-सुलतानपुर उ०प्र०

प्रबन्धसमिति की सूची

वर्ष 2016-2017

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राजदेव विश्वकर्मा पुत्र स्व० गोलहई विश्वकर्मा	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	अध्यक्ष	कृषि
2.	डा० राम प्रसाद शर्मा पुत्र स्व० रामजीत शर्मा	सी-33/257, सी०ए०, चन्दुआ छित्तूपुर, जिला वाराणसी उ०प्र०	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	श्री राम नारायण विश्वकर्मा पुत्र श्री राजदेव विश्वकर्मा	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	प्रबन्धक	व्यापार
4.	डा० शिव प्रसाद शर्मा पुत्र स्व० रामजीत शर्मा	4, वैष्णो नगर, मंडुवाडीह क्रासिंग जिला-वाराणसी उ०प्र०	उपप्रबन्धक	नौकरी
5.	श्री कृष्ण नारायण विश्वकर्मा पुत्र श्री राजदेव विश्वकर्मा	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री शिव प्रसाद शर्मा	वैष्णो नगर, मंडुवाडीह क्रासिंग जिला-वाराणसी उ०प्र०	सचिव	नौकरी
7.	श्रीमती कनकलता शर्मा पत्नी श्री राम प्रसाद शर्मा	सी-33/257, सी०ए०, चन्दुआ छित्तूपुर, जिला वाराणसी उ०प्र०	लेखापरीक्षक	नौकरी
8.	श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी श्री राम नारायण विश्वकर्मा	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	सदस्य	गृहणी
9.	श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र स्व० मुरली विश्वकर्मा	ग्रा० व पो० रवनियां, जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
10.	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामअनुज गुप्ता	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	सदस्य	कृषि
11.	श्री सत्य नारायण विश्वकर्मा पुत्र श्री राजदेव विश्वकर्मा	ग्रा० बेहराभारी, पो० अखण्ड नगर, जिला सुलतानपुर उ०प्र०	सदस्य	कृषि

राजदेव
रेखा

R.N.Vishwakarma
प्रबन्धक

किन्ना देवी एजुकेशनल सोसाइटी
अखण्ड नगर, कादीपुर
जिला सुलतानपुर उ०प्र०

1/6/16
R.N.Vishwakarma

नियमावली

1. संस्था का नाम :- : किन्ना देवी एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पूरा पता :- : ग्रा0- बेहराभारी (अखण्डनगर बाजार)
पो0/वि0क्षे0- अखण्डनगर, तह0- कादीपुर,
जन0- सुलतानपुर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :-

1. आजीवन सदस्य :- : जो व्यक्ति पाँच हजार रूपया अथवा इतने ही मूल्य की अचल सम्पत्ति संस्था को एक ही बार में देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।
2. सामान्य सदस्य :- : संस्था का सामान्य सदस्य बनने के लिये एक हजार रूपया अथवा इतने ही मूल्य की अचल सम्पत्ति एक बार में वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में देना होगा।
3. विशिष्ट सदस्य :- : जो व्यक्ति पचास हजार रूपया या इतने ही मूल्य की ऐसी अचल सम्पत्ति देगा, जो संस्था के लिये उपयोगी हो। वही विशिष्ट सदस्य बन सकेगा।
4. संरक्षक सदस्य :- : संरक्षक सदस्य की श्रेणी में क्षेत्रीय सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, परगनाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को बनाया जायेगा। संरक्षक सदस्यों के लिये अचल सम्पत्ति का दान संस्था के हित में करना अनिवार्य होगा।

R. N. Vishwanath

रेखा
रेखा

21/11/21

सदस्यता ग्रहण करने का तरीका :-

-2-
संस्था की सामान्य व आजीवन सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत पर गोपनीय मत द्वारा अथवा सर्व सम्मति से ही संस्था का सदस्य बना जा सकता है। विदित रहे कि मतदान की दशा में एक बार सदस्य बनाये जाने की प्रक्रिया पूरी होने की दशा में पुनः दोबारा छः माह तक उस व्यक्ति के बाबत विचार नहीं हो सकता है।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति सदस्यता से वंचित हो जायेगा।



1. मृत्यु हो जाने पर।

2. मस्तिष्क विकृत हो जाने पर।

3. लगातार तीन बैठकों में उचित समय से बैठक की सूचना प्राप्त होने पर भी जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर।

4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने अथवा दिवालिया होने पर।

5. संस्था की गोपनीयता भंग करने, दुर्भावना रखने अथवा हानिकारक कार्य करने पर।

6. संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क, धन इत्यादि न अदा करने के उपरान्त।

7. त्याग पत्र या अविश्वास स्वीकृत होने की दशा में।

7. संस्था के अंग :-

1. साधारण सभा

2. प्रबन्धकारिणी समिति

1. साधारण सभा :-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

R. N. Kushwaha

रेखा
रेखा

शजादेवा

बैठकें :-

3
: साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी। विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

: साधारण सभा की सामान्य बैठक की लिखित एजेण्डा के साथ सूचना 15 दिन के पूर्व, एवं विशेष आपातकालीन बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दी जायेगी।

गणपूर्ति :-

: साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति ही गणपूर्ति मानी जायेगी।

विशेष वार्षिक बैठक की तिथि :-



संस्था का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. वार्षिक आय-व्यय पास करना।
3. वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के हितार्थ नीति तय करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप प्रबन्धक

प्रबन्धकारिणी समिति :-

10/03/14

1. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी समिति के अन्य सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। विवाद होने की दशा में साधारण सभा गोपनीय मतदान के आधार पर निर्वाचन करेगी, किन्तु प्रबन्धक का निर्वाचन विशिष्ट सदस्यों में से किया जायेगा।

K. N. Nishwanekar

सेवा
सेवा

राजदेव

2. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य :-

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. प्रबन्धक
4. उप प्रबन्धक
5. मन्त्री
6. कोषाध्यक्ष
7. लेखा परीक्षक

3. बैठकें :-



4. कार्यकाल :-

5. सूचना अवधि :-

6. गणपूर्ति :-

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियों तथा बिट्स
कैम्ब्रिज (को)

10/03/14

एवं अन्य चार सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल 11 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी। प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक समय-समय पर हुआ करेगी तथा विशेष आपातकालीन बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व तथा विशेष आपातकालीन बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को लिखित रूप से एजेण्डा सहित देना अनिवार्य होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति ही कोरम माना जायेगा तथा कोरम के अभाव में एक घण्टे के बाद बैठक स्थगित कर दी जायेगी। तथा स्थगित बैठक दुबारा बुलाये जाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा परन्तु 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

K. N. Kishorewary.

शेखा
शेखा

राजापेठ

7. रिक्त स्थानों की पूर्ति :

प्रबन्धकारिणी समिति में कोई स्थान या पद रिक्त होने पर प्रबन्धकारिणी समिति के मौजूदा लोगों के द्वारा मनोनीत कर लिया जायेगा परन्तु छः माह के अन्दर साधारण सभा के द्वारा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

8. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :-



सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियाँ तथा बिस्स
फैजाबाद (जि. ६)

10/03/14

1. संस्था की उन्नति एवं प्रगति के लिये आवश्यक कार्य करना, प्रस्ताव पास कराना एवं आवश्यकतानुसार उप समिति का गठन करना।

2. वार्षिक बजट को परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण होने के बाद अनुमोदन हेतु साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

3. संस्था के लिये धन, भवन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करना।

4. संस्था के हित में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निलम्बन करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति भंग होने की दशा में नवीन प्रबन्धकारिणी समिति के गठन होने तक कार्य करते रहना।
3. बैठक के लिये दिनांक का अनुमोदन, परिवर्तन एवं स्थगित करना।
4. बैठक या काग़वाही को सुचारु रूप से चलाना।
5. बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
6. अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना।

R. N. Vishwanathkar,

रेखा
रेखा

शंजोदेव

2. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष के कार्य में सहयोग देना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

3. प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धकारिणी समिति की मुख्य पदाधिकारी होगा।
2. संस्था के आवश्यक अभिलेख इनकी सुरक्षा में रहेंगे।
3. सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करना।



4. चन्दा, दान एकत्र करवाना एवं अभिलेख तैयार करना।

5. समस्त बिल, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना अथवा किसी को अधिकृत करना।

6. संस्था के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना या अधिकृत करना।

7. संस्था के लिये धन, भवन, चल, अचल सम्पत्ति की व्यवस्था, सुरक्षा एवं समीक्षा करना।

8. नियमानुसार अभिलेखों को तैयार करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति की सहायता से प्रधानाचार्य की नियुक्ति करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति व प्रधानाचार्य की सहायता से अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
समिति काशीबाद
क.प्र.स. (उ.प्र.)

10/03/14

K. N. Shukla

रेखा
रेखा

संज्ञादेय

11. किसी भी सदस्य द्वारा संस्था को अहित पहुंचाने की दशा में संस्था से अलग कर देना अथवा निश्चित अवधि के लिये निलम्बित करने का अधिकार होगा। किन्तु किसी भी दशा में 3 माह के अन्दर प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक करके 2/3 सदस्यों से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।



12. प्रधानाचार्य सहित सहायक अध्यापक/ अध्यापिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों के स्थायीकरण, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, अवनति, निष्कासन तथा शिक्षा संस्था के नियमों का स्वयं पालन करते हुये उनसे पालन करवाना।

13. प्रधानाचार्य, प्रधान लिपिक एवं संस्था के हितार्थ लोगों के भत्ता, बिल पास करना।

14. शिक्षा संहिता के नियमों का पालन करते हुये समिति या उप समिति के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिये शुल्क मुक्ति प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितियों तथा बिट्स
केजाबाब (उप प्रबन्धक)

4. उप प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग करना।
2. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यभार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना।

5. मन्त्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. मन्त्री ही दोनों सदनों की कार्यवाहियों को लिपिवद्ध करके रखेगा तथा उनका क्रियान्वयन करेगा।
2. पिछली कार्यवाही अगली बैठक में पढ़कर सुनाना।
3. संस्था के हित में पत्राचार आदि करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण सभा की बैठक आदि बुलाना।

K. N. V. Khanna

रेखा
रेखा 21/11/17

5. अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी रहना।
6. मन्त्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धाकारिणी समिति कार्यवाही चलाने के लिये मन्त्री को अस्थायी रूप से मनोनीत कर लेगी, जो मन्त्री पद के लिये उत्तरदायी होगा।

6. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-



1. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा एवं ब्योरा तैयार करना।
2. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
3. कोषाध्यक्ष को अपने पास संस्था हेतु रुपये 1000/- ही रखने का अधिकार होगा।

7. लेखा परीक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. लेखा परीक्षक प्रत्येक दश में वार्षिक बैटक के एक सप्ताह पूर्व संस्था के आय-व्यय, पुस्तकालय, अन्य कागजात एवं सम्पत्ति की जाँच आख्या तैयार करने के उपरान्त प्रबन्धक को लिखित रूप से सूचित कर देगा और रिपोर्ट वार्षिक सभा की कार्यवाही में पढकर सुनायेगा।
2. लेखा परीक्षक अपनी जाँच आख्या, टिप्पणी व अपनी राय संस्था के हित में देगा।
3. लेखा परीक्षक किसी भी समय परीक्षण कर सकता है परन्तु किसी भी दश में तीन माह के अन्तराल के पूर्व नहीं कर सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियों तथा बिड्स
जयपुर (7 प्र०)
10/03/14

10. संशोधन प्रक्रिया :-

: आवश्यकतानुसार वर्तमान संविधान में साधारण सभा को 2/3 सदस्यों के बहुमत से अपवर्जन या सम्बर्धन किया जा सकता है।

R. N. V. Shrivastava

शेखा

शेखा

राजदेव

11. संस्था का कोष लेखा व्यवस्था :-

संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त पोस्ट आफिस अथवा बैंक शाखा में प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा खाता खोलकर निकाला जायेगा।

12. संस्था के अभिलेख :-

- अ. सदस्यता रजिस्टर
- ब. कार्यवाही रजिस्टर
- स. स्टाक रजिस्टर
- कैश बुक व लेजर बुक
- पुस्तकालय रजिस्टर
- एवं प्रबन्धकारिणी समिति अपने आवश्यकता के अनुसार अभिलेख बनवायेगी।



13. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

14. संस्था समय-समय पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र वितरण एवं संस्था के हित में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करके संस्था के हित में सम्मान, गौरव कार्यक्षेत्र व बाह्य क्षेत्र में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा।

15. समिति -बनाम- दीगरा व दीगरा -बनाम- समिति।
समस्त अदालती कार्यवाही प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर से करेगा।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

(सत्य प्रतिलिपि) शैल

1. अध्यक्ष: Vishwakarma
 2. उपाध्यक्ष: Vishwakarma
 3. सचिव: Vishwakarma

10/03/14

R. N. Vishwakarma,
शैल
शैल

10/02/06

शैल 191